रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082020-220835 CG-DL-E-04082020-220835

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 382]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 4, 2020/श्रावण 13, 1942

No. 382]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 4, 2020/SHRAVANA 13, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाश्ल्क बोर्ड)

अधिसचना

नई दिल्ली. 4 अगस्त. 2020

सं. 67/2020-सीमाश्ल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 487(अ.).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के उपवाक्य (कक) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/97-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 02 अप्रैल, 1997 जिसे सा.का.नि. 193(अ.), दिनांक 02 अप्रैल, 1997 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में आगे और निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, पश्चिम बंगाल राज्य से सम्बंधित क्रम संख्या 13 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ii) के उपरांत और कॉलम (4) में अनुरूप प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित मद एवं प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)		(4)
"(iii) ग्राम डबग्राम, तहसील भ जलपाईगुड़ी	क्ति नगर, जिला	आयातित माल को उतारना तथा निर्यात माल को चढ़ाना"

[फा. सं. 394/58/2020-सीमा-शुल्क (त.रो)]

शरद चंद्र श्रीवास्तव, निदेशक (तस्करी-रोधी इकाई)

3494 GI/2020 (1)

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना संख्या 12/97-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 02 अप्रैल, 1997 सा.का.नि.193(अ) दिनांक 2 अप्रैल, 1997 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड (3), उपखंड (i) में प्रकाशित की गई और इसमें अंतिम बार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड (3), उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 12/2020-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 11 फरवरी, 2020, सा.का.नि. 105(अ), दिनांक 11 फरवरी, 2020 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2020

No. 67/2020-Customs (N.T.)

G.S.R. 487(E).—In exercise of the powers conferred by clause (aa) of sub-section (1) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 12/97-Customs (N.T.) dated the 2nd April, 1997, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 193(E), dated the 2nd April, 1997, namely:—

In the said notification, in the Table, against serial number 13 relating to the State of West Bengal, in column (3), after the entry at item (ii) and corresponding entry in column (4), the following item and entries shall be inserted, namely:—

(3)	(4)
"(iii) Village Dabgram, Tehsil Bhakti Nagar, District Jalpaiguri	Unloading of imported goods and loading of export goods"

[F. No. 394/58/2020-Cus (AS)]

SHARAD CHANDRA SRIVASTAVA, Director (Anti-Smuggling Unit)

Note: The principal notification No.12/97-Customs (N.T.), dated the 2nd April, 1997 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 193(E), dated the 2nd April, 1997 and last amended by notification number 12/2020-Customs (N.T.) dated the 11th February, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 105(E), dated the 11th February, 2020.